20/11/17 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के प्रतिनिधि पर 5/16 ... उप प्रतिनिधि ... पत्रावली की तारीख ... 2018 ... आदेश ...

15/1/18 आज यह पत्रावली वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। वकील वादीगण उप० पत्रावली पुनर्विचार दिनांक 30/1/18 को पेश हो।

30/1/18 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते पुनर्विचार
आगामी पेशी दिनांक 21/2/18
पेश हो।

21/2/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्र० न० 3 ता 12 फॉर्मल पक्षकार है जिनके विरुद्ध कोई रिलिफ नहीं चाही गई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 27/2/18 को पेश हो।

27/2/18 वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

2

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः—358/2017

1. शिशपाल
2. सुरेन्द्र

——पुत्रगण स्व0 श्री चुन्नीराम, जाति जाट, निवासीगण भुनावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

——वादीगण——

बनाम

1. अश्वनी
2. सूर्यकान्त

——पुत्रगण स्व0 श्री धनपत, जाति जाट, निवासी वार्ड नं0—1 नजदीक गुरूद्वारा, लालगढ़ जाटान, तहसील सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर—

3. कृष्णादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री धनपत, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर—1, नजदीक गुरूद्वारा लालगढ़ जाटान, तहसील सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर—
4. लिछमादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री चुन्नीराम, जाति जाट, निवासी भुनावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
5. औमप्रकाश पुत्र श्री नारायण, जाति जाट, निवासी भुनावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
6. रमेश
7. मुकेश

——पुत्रगण स्व0श्री घनश्याम, जाति जाट, निवासी भुनावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक) शाखा लालगढ़ जाटान, जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर—
9. एचडीएफसी बैंक शाखा श्रीगंगानगर, जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला श्रीगंगानगर—
10. यूको बैक शाखा हिरणावाली जरिये शाखा प्रबन्धक, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
11. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़—
12. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर—

——प्रतिवादीगण——

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए

उपस्थित 1. श्री राजेश कुमार छीम्पा, अधिवक्ता—वादीगण
2. श्री भानुप्रताप सिहं—प्रतिवादीगण संख्या—1 से 3

निर्णय **दिनांकः—27.02.2018**

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 20—09—2017 को विरूद्व प्रतिवादीगण वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या—1 से 7 के मूल पुरूष नारायणराम थे। उनकी कृषि भूमि चक 8 एमडी, चक 1 एमडी तहसील हनुमानगढ व चक 18 एसडीएस व चक 3 एलएलजी तहसील सादुलशहर में थी। श्री नारायण की मृत्यु के प्श्चात् उक्त भूमि उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई। तत्पश्चात् नारायणराम की

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

3.

धर्मपत्नि श्रीमति सरस्वती व पुत्रियां गुडडी, पावर्तीख मूली, केली व स्व0 चुन्नीराम की पुत्रिया रजनी, रानी व स्व0 श्री घनश्याम की पुत्रियों सुमन उर्फ रमन व कैलाश द्वारा अपना हक त्याग कर देने के पश्चात् वर्तमान में यह भूमि चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ सम्वत 2071–2074 के खाता संखय–83/77 में 3.441 हैक्टेयर, चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–67/67 सम्वत 2072–2075 में 8.223 हैक्टेयर व चक 18 एसडीएस तहसील सादुलशहर के खाता संख्या–4/4 सम्वत 2072–2075 में 4.554 हेक्टेयर, चक 3 एलएलजी तहसील सादुलशहर के खाता संख्या–9/8 सम्वत 2069–2072 में 6.578 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण ने यह भी कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 22 ने वादपत्र की चरण संख्या–4 में वर्णित अपने–अपने नाम की कृषि भूमि का काश्त की सहूलियत हेतु अपनेअपने निवास स्थान को दृष्टिगत रखते हुये घरेलू बंटवारा कर लिया था। इस घरेलू बंटवारा के अन्तर्गत वादीगण को तहसील हनुमानगढ़ के चक 8 एमडी व चक 14 एमडी में अपने नाम दर्ज के अलावा प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नाम चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–83/77 में वर्णित 0.860 हैक्टेयर व चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–67/67 में प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि वादीगण को प्राप्त हुई थी। इसी अनुसार इस घरूबटवारा के अन्तर्गत वादीगण की चक 18 एसडीएस तहसील सादूलशहर के खाता संख्या–4/4 में दर्ज 1.138 हैक्टेयर व चक 3 एलएलजी तहसील सादुलशहर के खाता संख्या–9/8 में दर्ज 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 को प्राप्त हुआ है व इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र इस आशय की घोषणा चाही कि चक 8 एमडी खाता संख्या–83/77 में स्वयं के नाम दर्ज 0.654 हैक्टैयर व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज 0.860 हैक्टैयर व कुल 1.514 हैक्टैयर भूमि कब्जा काश्त में है इसी प्रकार चक 14 एमडी के खाता संख्या–67/67 में वादीगण के स्वयं के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नमा दर्ज 1/4 हिस्सा कुल 1/2 हिस्सा अर्थात 4.111 हैक्टेयर भूमि के खातेदार हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र में यह भी कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की चक 18 एसडीएस तहसील सादुलशहर खाता संख्या–4/4 में प्रतिवादी संख्या–3 के साथ 1. 139 हैक्टैयर में बहिस्सा बराबर में प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का 2/3 हिस्सा अर्थात 0.759 हैक्टेयर तथ इसके अलावा वादीगण के नाम दर्ज 1. 138 हैक्टेयर कुल 1.897 हैक्टेयर व चक 3 एलएलजी तहसील सादुलशहर के खाता संख्या–9/8 में प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की प्रतिवादी संख्या–3 के साथ दर्ज 1.664 हैक्टेयर में बहिस्सा बराबर अर्थात प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का 2/3 हिस्सा 1.096 हैक्टेयर के अलावा वादीगण के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 1.644 हैक्टेयर कुल 2.740 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है तथा चक 18 एसडीएस के खाता संख्या–4/4 में प्रतिवादी संख्या–3 का 1.139 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा अर्थात 0.380 हैक्टेयर व चक 3 एलएलजी के खाता संख्या–9/8 में प्रतिवादी संख्या–3 के नाम 1.644 हैक्टैयर में 1/3 हिस्सा अर्थात 0.548 हैक्टैयर भूमि यथावत् रखी जाकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहे तो वादीगण को कोई आपति नहीं है। वादीगण ने यह भी कथन किया कि चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–83/77 में कुल 1.514 हैक्टैयर पर व चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–67/67 में कुल 4.111 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है तथा इस भूमि को अपनी मेहनत व श्रम से सुधार कर इसे उपजाउ बनाया है। प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने सदैव इस

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

घरूबंटवारा को स्वीकार व अंगीकार किया है लेकिन वे वादीगण की सुधारी हुई भूमि को मध्यनजर रख लालचवश हो गये है तथा इस घरूबंटवारा से इन्कार करते हुये चक 8 एमडी व चक 14 एमडी में वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने व इन दोनों चकों की जमाबन्दियां में अपने नाम दर्ज भूमि की प्रविष्टियों का अनुचित फायदा उठाते हुये इस भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन बैय व मुन्तकिल करने की धमकी देने लगें हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा वे पारिवारिक समझौता से विंबधित है। यदि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि चक 8 एमडी व चक 14 एमडीको रहन बैय व मुन्तकिल कर देते हैं अथवा वादीगण के कब्जा काश्त काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तो वादीगण को अपरिमेय क्षति होगी। इन हालात में वादीगण प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–83/77 में दर्ज 0.860 हैक्टेयर व चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–67/67 तादादी 8.223 हैक्टेयर में अपने नाम दर्ज 1/4 हिस्सा की भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें व वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने जरिये राजीनामा अपना वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया। वादीगण ने मौखिक दिनांक 21–2–2018 को निवेदन किया कि वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या–3 ता 12 के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा वे फोर्मल पक्षकार है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने दिनांक 01–11–2017 को राजीनामा प्रस्तुत किया तथा मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया तथा मुताबिक राजीनामा वादीगण चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–83/77 में स्वयं के नाम दर्ज 0.654 हैक्टेयर के अलावा प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज 0.860 हैक्टेयर कुल 1.514 हैक्टेयर भूमि व चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–67/67 में स्वयं के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 2.055 हैक्टेयर के अलावा प्रतिवादगण संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 2.056 हैक्टेयर कुल 4.111 हैक्टैयर भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाने में वादीगण व प्रतिवादीगण सहमत है तथा मुताबिक घोषणा उक्त दोनों खातों में प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का नाम विलोपित फरमाया जाकर चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–83/77 में वादीगण को 1.514 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाने तथा चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–67/67 तादादी 8.223 हैक्टैयर में वादीगण को 1/2 हिस्सा अर्थात 4.111 हैक्टेयर बहिस्सा के खातेदार घोषित किये जाने में सहमत है तथा इसी अनुसार चक 18 एसडीएस तहसील सादूलशहर के खाता संख्या–4/4 में वादीगण के नाम दर्ज 1.138 हैक्टैयर व चक 3 एलएलजी तहसील सादुलशहर के खाता संखय–9/8 में वादीगण के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 1.644 हैक्टेयर में वादीगण का नाम विलोपित किया जाकर यह भूमि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 सहमत है तथा इस आशय की घोषणा जारी किया न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

4

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादपत्र वादीगण डिक्री किया जाता है इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने दिनांक 01–11–2017 को राजीनामा अनुसार वादीगण को चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–83/77 में स्वयं के नाम दर्ज 0.654 हैक्टेयर के अलावा प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज 0.860 हैक्टेयर कुल 1.514 हैक्टेयर भूमि व चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–67/67 में स्वयं के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 2.055 हैक्टेयर के अलावा प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 2.056 हैक्टेयर कुल 4.111 हैक्टेयर भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा मुताबिक घोषणा उक्त दोनों खातों में प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का नाम विलोपित फरमाया जाकर चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–83/77 में वादीगण को 1.514 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–67/67 तादादी 8.223 हैक्टैयर में वादीगण को 1/2 हिस्सा अर्थात 4.111 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा इसी अनुसार चक 18 एसडीएस तहसील सादूलशहर के खाता संख्या–4/4 में वादीगण के नाम दर्ज 1.138 हैक्टेयर व चक 3 एलएलजी तहसील सादुलशहर के खाता संख्या–9/8 में वादीगण के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 1.644 हैक्टेयर में वादीगण का नाम विलोपित किया जाकर यह भूमि प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। बाद रहनमुक्त इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः—सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

बईजलासः—सुरेन्द्र सिहं पुरोहितं, आर0ए0एस0

शिशपाल आदि **बनाम** अश्वनी आदि

दावा बाबत 88—188 आरटीए राजस्व वाद 358 वर्ष 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री राजेश कुमार छीम्पा—अधिवक्ता—वादीगण व श्री भानुप्रताप सिहं अधिवक्ता—प्रतिवादीगण संख्या—1 से 3 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादपत्र वादीगण डिक्री किया जाता है इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 ने दिनांक 01—11—2017 को राजीनामा अनुसार वादीगण को चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—83/77 में स्वयं के नाम दर्ज 0.654 हैक्टेयर के अलावा प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 के नाम दर्ज 0.860 हैक्टेयर कुल 1.514 हैक्टेयर भूमि व चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—67/67 में स्वयं के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 2.055 हैक्टेयर के अलावा प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 2.056 हैक्टेयर कुल 4.111 हैक्टेयर भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा मुताबिक घोषणा उक्त दोनों खातों में प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 का नाम विलोपित फरमाया जाकर चक 8 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—83/77 में वादीगण को 1.514 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा चक 14 एमडी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या—67/67 तादादी 8.223 हैक्टैयर में वादीगण को 1/2 हिस्सा अर्थात 4.111 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं तथा इसी अनुसार चक 18 एसडीएस तहसील सादूलशहर के खाता संख्या—4/4 में वादीगण के नाम दर्ज 1.138 हैक्टेयर व चक 3 एलएलजी तहसील सादुलशहर के खाता संख्या—9/8 में वादीगण के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा अर्थात 1.644 हैक्टेयर में वादीगण का नाम विलोपित किया जाकर यह भूमि प्रतिवादीगण संख्या—1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। बाद रहनमुक्त इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

..........X..........लीज..........

मुबलिग..........X..........बाबत..........X..........

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह..........X..........

से तारीख वसूलयाबी तक ....X..........

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 27 माह 02 सन् 2018 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

1. शिशपाल | —पुत्रगण स्व0 श्री चुन्नीराम, जाति जाट, निवासीगण
2. सुरेन्द्र | भुनावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़—

——वादीगण——

बनाम

1. अश्वनी | —पुत्रगण स्व0 श्री धनपत, जाति जाट, निवासी वार्ड
2. सूर्यकान्त | नं0—1 नजदीक गुरूद्वारा, लालगढ़ जाटान, तहसील सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर—

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

6

3. कृष्णादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री धनपत, जाति जाट, निवासी वार्ड नम्बर–1, नजदीक गुरूद्वारा लालगढ़ जाटान, तहसील सादूलशहर, जिला श्रीगंगानगर–
4. लिछमादेवी धर्मपत्नि स्व0 श्री चुन्नीराम, जाति जाट, निवासी भुनावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
5. औमप्रकाश पुत्र श्री नारायण, जाति जाट, निवासी भुनावाली ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
6. रमेश —–पुत्रगण स्व0श्री घनश्याम, जाति जाट, निवासी भुनावाली
7. मुकेश ढ़ाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
8. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक) शाखा लालगढ़ जाटान, जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर–
9. एचडीएफसी बैंक शाखा श्रीगंगानगर, जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला श्रीगंगानगर–
10. यूको बैंक शाखा हिरणावाली जरिये शाखा प्रबन्धक, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
11. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़–
12. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर–

—–प्रतिवादीगण—–

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner